

‘हमें मजबूरन जे.पी.सी. छोड़नी पड़ सकती है’

वक्फ बिल का परीक्षण कर रही जे.पी.सी. के विपक्षी सदस्यों ने स्पीकर ओम बिड़ला को चिट्ठी लिखी

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 नवम्बर। वक्फ (संशोधन) विधेयक की संवीक्षा (स्क्रूटिनी) कर रही संसदीय समिति में एक प्रकार के संकट की स्थिति बनती जा रही है क्योंकि विपक्षी सांसद इस कमेटी से अलग होने की योजना बना रहे हैं। दरअसल, विपक्षी सांसदों का कहना है कि इस कमेटी के चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल कथित रूप से एकपक्षीय निर्णय ले रहे हैं तथा उन्हें तैयार होने के लिए समुचित समय दिये बिना ही, सम्बन्धित प्रक्रियाओं/कार्यवाहियों को “बुलडोज” करने की कोशिशें की जा रही हैं।

ऐसी सम्भावना है कि संसदीय कमेटी में शामिल विपक्षी सांसद मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से भेंट कर सकते हैं।

इस बात पर जोर देते हुए, कि कमेटी की कार्यवाहियों के दौरान उनके काम में बाधा डाली जा रही है, विपक्षी सांसदों ने बिड़ला को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि उन्हें इस

विपक्षी सदस्यों का आरोप है कि, जे.पी.सी. प्रमुख, भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल एकतरफा फैसले कर रहे हैं। विपक्षी सदस्य मंगलवार को स्पीकर ओम बिड़ला से मिलकर उन्हें शिकायती पत्र सौंपेंगे।

विपक्षी सदस्यों का आरोप है कि बैठक की कार्यवाही की तारीख तय करने और गवाहों को बुलाने में जे.पी.सी. प्रमुख मनमानी कर रहे हैं तथा अक्सर एक के बाद एक लगातार तीन दिन तक कमेटी की मीटिंग बुला लेते हैं।

विपक्ष का आरोप है कि पाल की कोशिश है कि वक्फ बिल, सरकार जैसा चाहती है, उसी रूप में जे.पी.सी. से स्वीकृत हो जाए, इसलिए विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है।

ज्ञातव्य है कि, कभी यूपी में कांग्रेस के कद्दावर नेता रह चुके जगदम्बिका पाल 2014 में भाजपा में आए थे तब से वे हर बार लोकसभा चुनाव जीते हैं, पर अभी तक भी उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है।

कमेटी से अलग होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इन सांसदों ने इस पत्र को पहले आपस में स्क्रूटेट भी

किया है। विपक्ष के सूत्रों ने कहा कि विपक्षी सांसद मंगलवार को बिड़ला से

मिलकर, उनके सम्मुख अपनी शिकायतें रख सकते हैं।

विपक्षी सदस्यों, जिनमें अन्य सांसदों के अलावा, द्रमुक के ए.राजा, कांग्रेस के मुहम्मद जावेद तथा इमरान मसूद, ए.आई.एम.आई.एम. के असदुद्दीन ओवैसी, आप के संजय सिंह तथा टी.एम.सी. के कल्याण बनर्जी भी शामिल हैं, ने लोकसभा अध्यक्ष को एक संयुक्त पत्र लिखा है।

उन्होंने जगदम्बिका पाल, जो धीरे-धीरे भाजपा सांसद हैं, पर आरोप लगाया है कि वे कमेटी की बैठकों की तिथियाँ तय करने में “इकतरफा निर्णय” ले रहे हैं तथा वे तिथियाँ तीन लगातार दिनों की दे दी जाती हैं। इसके साथ ही इस विषय में भी इकतरफा निर्णय लिये जाते हैं कि साक्षी के रूप में किन्हें बुलाया जाना है।

उन्होंने कहा कि सांसदों के लिए यह व्यवहारिक रूप से सम्भव नहीं है कि वे तैयारी के बिना चर्चा कर सकें।

इस बात पर जोर देते हुए, कि इस विधेयक का परीक्षण कर रही संसद की संयुक्त समिति “मिनी संसद” की तरह (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘पटाखों पर सतत प्रतिबंध क्यों नहीं’

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 4 नवम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया। रिपोर्ट में लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बाद भी दीपावली पर पटाखों से होने वाला प्रदूषण सर्वाधिक था। कोर्ट ने कहा कि 2022 व 2023 की तुलना में इस बार

इस वर्ष दीपावली पर गत दो वर्षों की तुलना में पटाखों से होने वाला प्रदूषण बहुत अधिक होने की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और दिल्ली सरकार व दिल्ली पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा।

पटाखों का प्रदूषण काफी अधिक है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार व दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा है। बैंच ने पूछा दीपावली 2024 के दौरान क्या हुआ। बैंच ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर शपथ पत्र दायर करे अगली सुनवाई 14 नवम्बर को होगी। कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध के बारे में सवाल किया।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण व ऑनलाइन डिलीवरी और पटाखे जलाने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पुल टूटने पर दायर याचिका स्वीकार की

जब याचिका चीफ जस्टिस डी.वाय. चंद्रचूड़ के सामने आई तो उन्होंने कहा, मैं इसकी गहराई में जाऊंगा

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 4 नवम्बर। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को निर्णय लिया कि हाल ही के महीनों में बिहार में कई पुलों के गिर जाने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर विचार किया जाएगा।

इस जनहित याचिका में मांग की गई है कि पुलों की संरचनात्मक ऑडिट तथा विशेषज्ञों का एक ऐसा पैनल गठित करने के निर्देश दिये जायें, जो ऐसे पुलों को चिन्हित करें, जिनकी मरम्मत करने या ढहा दिये जाने की जरूरत है।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला तथा मनोज मिश्रा की बैंच ने सोमवार को इस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किये जाने का निर्णय लिया। यह याचिका सिवान, सारण, मधुबनी, अररिया, पूर्वी चम्पारण तथा किशनगंज जैसे जिलों में गिरे उन 10 पुलों के गिर जाने की प्रतिक्रिया में दायर की गई है, जो मई, जून तथा जुलाई के मानसूनी मौसम में हुई भारी बरसात में

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बिहार सरकार, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा राज्य सरकार के कई विभागों व अफसरों को नोटिस भेजा है।

न्यायिक हस्तक्षेप से स्पष्ट है कि राज्य में पुलों के टूटने को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है।

यह याचिका हाल ही, मई, जून और जुलाई में सिवान, सारन, मधुबनी, अररिया, पूर्वी चम्पारण और किशनगंज में गिरे पुलों के सम्बंध में दायर की गई है।

गिर गये थे। जब याचिकाकर्ता के वकील ब्रजेशसिंह ने यह याचिका सुनवाई के लिए प्रस्तुत की, तो मुख्य न्यायाधीश ने बोले, “मैं इसकी गहराई में जाऊंगा।” अदालत की इस प्रतिक्रिया से पूर्व इस बात का सत्यापन किया गया कि इस याचिका के बारे में किये गये आवश्यक पत्राचार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यालय में समुचित रूप से भेजे गए अथवा नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एन.एच.ए.आई.) तथा राज्य के विभिन्न विभागों को नोटिस जारी कर दिये, जिनमें सड़क-निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, बिहार राज्य पुल निर्माण लिमिटेड, तथा रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव शामिल हैं।

इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप राज्य में पुलों की सुरक्षा के बारे में बढ़ती चिन्ताओं को रेखांकित कर रहा है, जो भारी वर्षा एवं बाद से प्रायः प्रभावित होती है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अल्मोड़ा में बस खाई में गिरी, 36 की मौत

दीपावली के अवकाश के कारण बस में क्षमता से अधिक यात्री बैठे थे

अल्मोड़ा/नैनीताल, 04 नवंबर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सोमवार सुबह-सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 36 लोगों की मृत्यु हो गयी तथा 24 अन्य घायल हो गये। मृतकों में से अधिकांश लोग दीपावली मना कर अपने गांव की ओर लौट रहे थे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनिवर्स लि0 की बस पौड़ी जिले के गौलेखाल से 60 यात्रियों को लेकर निकली, अल्मोड़ा जिले के सल्ट तहसील के मरचूला में कूपी के पास सारड बैंड में अनियंत्रित हो कर गहरी खाई में जा गिरी।

दीपावली अवकाश के कारण बस खराब कर भरी हुई थी। बस में क्षमता से कई गुना अधिक, 60 सवारियां भरी हुई थीं। पांच लोग किसी तरह बस से दूर छिटक गये, उन्हें मामूली चोटें आयीं। बाकी 36 लोगों की मौत हो गयी। इनमें से 28 की मौत के पर ही मौत हो गयी थी। दुर्घटना की सूचना मिलते ही, एस.डी.आर.एफ. की तीन टीम और

बस के 5 यात्री किसी तरह छिटक कर बाहर गिरे। उनको मामूली चोट आई। अड्डाईस लोगों की मौत के पर ही मृत्यु हो गई तथा 8 ने रामनगर अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ा।

सल्ट, रानीखेत की पुलिस टीमों को मौके के पर भेजा गया। तब तक ग्रामीण भी मौके पर पहुंच चुके थे।

कुमाऊँ आयुक्त दीपक रावत, जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एस.एस.पी.) देवेन्द्र पिंवा और सल्ट के उप जिलाधिकारी कोहली ने मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य शुरू करवाया। दो दर्जन घायलों में से 15 को रामनगर अस्पताल भिजवाया गया,

जबकि चार को एयर लिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश और हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा गया।

रामनगर अस्पताल में उपचार के दौरान आठ घायलों ने दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीर घायलों को तत्काल एयर लिफ्ट कर एम्स और अन्य अस्पतालों में भेजने के निर्देश दिये। इसके लिये एयर एम्बुलेंस भी उपलब्ध करायी गयी। साथ ही एम्स के चिकित्सकों की एक टीम को ऋषिकेश से घायलों के उपचार के लिये रामनगर चिकित्सालय भेजा गया।

मुख्यमंत्री ने लापरवाही के आरोप में अल्मोड़ा और पौड़ी के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिये। दुर्घटना की जांच के आदेश कुमाऊँ आयुक्त दीपक रावत को दे दिये हैं। इसके अलावा, मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये और घायलों को एक-एक लाख रुपये सहायता देने की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एकल पट्टा प्रकरण में धारीवाल को राहत देने के आदेश को रद्द करने की गुहार

जयपुर, 4 नवंबर। प्रदेश के चर्चित एकल पट्टा प्रकरण में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नया शपथ पत्र पेश कर यू-टर्न लिया है। अशोक पाठक की स्पेशल लीव पिटिशन (एस.एल.पी.) में पेश इस नए शपथ पत्र में कहा गया है कि मामले की सुनवाई के बीच

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में राज्य सरकार की ओर से नया शपथ पत्र पेश हुआ। पूर्व में राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि एकल पट्टा प्रकरण में कोई अपराधिक मामला नहीं बनता।

हाईकोर्ट ने तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन वापस लेने की अनुमति और तत्कालीन यू.डी.एच. मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ मामला रद्द कर दिया था। हालांकि, पूर्व में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि एकल पट्टा प्रकरण में कोई अपराधिक मामला नहीं बनता है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राज ठाकरे की कोशिश उद्धव ठाकरे की शिवसेना को नुकसान पहुंचाना है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 3 नवंबर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पूर्व राज ठाकरे की राजनीतिक रणनीतियों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। निरंतर कम होते वोटर बेस के मद्देनजर, ठाकरे द्वारा लिए गए निर्णय स्वयं उनकी पार्टी तथा शिवसेना, दोनों के चुनावी परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। उनकी राजनीतिक शतरंज की बाजी के बारे में बात करते हैं।

ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एम.एन.एस.) ने मुंबई सहित महाराष्ट्र में 137 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं। तथापि, एम.एन.एस. ने मुंबई की 36 विधानसभा सीटों में से 10 सीटों पर प्रत्याशी खड़े नहीं किए हैं। इस बात को लेकर ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि, सत्तारूढ़ महायुक्ति को इन सीटों पर जिताने के मकसद से इन पर प्रत्याशी नहीं खड़े करने का यह सोचा समझा निर्णय है। गत सप्ताह राज ठाकरे ने कहा था, उन्हें विश्वास है कि भारतीय जनता

राज ठाकरे ने मुम्बई की 36 में से 25 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, जो सीधे उद्धव के प्रत्याशियों को नुकसान पहुंचाएंगे, पर ठाकरे ने दस सीटों पर कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, क्योंकि यहां पर भाजपा का महायुक्ति गठबंधन जीत रहा है।

हालांकि, राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का भाजपा से गठबंधन नहीं है, पर उन्होंने 137 सीटों पर ऐसे प्रत्याशी खड़े किए हैं, जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

राज ठाकरे का जनाधार लगातार खिसक रहा है, उनकी कोशिश है कि किसी भी प्रकार से वे अपना राजनैतिक रूतबा कायम रख पाएं, पर इस चुनाव में उनकी जो रणनीति है वह उन्हें बना सकती है तो मिटा भी सकती है।

पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार, 20 नवम्बर को महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद सत्ता में वापस आएगी। एम.एन.एस. ने भाजपा के साथ किसी गठबंधन की घोषणा नहीं की है, फिर भी कदाचित्

ठाकरे, इन चुनावों में भगवा पार्टी के साथ सैद्धांतिक वफादारी की बात कर रहे हैं।

विधानसभा चुनाव 2024 राज ठाकरे के राजनीतिक करियर को बना देंगे या खत्म कर देंगे, क्योंकि, सन्

2009 से एम.एन.एस. के चुनावी सितारे लगातार गिराई में जा रहे हैं। सन् 2009 में एम.एन.एस. ने तेरह विधानसभा सीटें जीती थीं। उसके बाद से एम.एन.एस. का वोट शेयर 5.75 प्रतिशत से गिरकर सन् 2019 में 2.25 प्रतिशत रह गया। इस वर्ष एम.एन.एस. का केवल एक प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में जीता था।

नामांकन के आखिरी दिन, सोमवार को बागियों द्वारा नाम वापस लेने से अब महायुक्ति व महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के बीच संघर्ष का मंच तैयार हो गया है।

महाराष्ट्र में सभी प्रमुख राजनीतिक दल विद्रोह का सामना कर रही हैं, क्योंकि जिन पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिए गए हैं उन्होंने नेतृत्व का विरोध करते हुए 20 नवंबर के विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन भरे हैं, जो सत्तारूढ़ महायुक्ति तथा विपक्षी ब्लाक, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी दोनों के लिए एक सिरदर्द बन गया है। भ्रम के माहौल का एक कारण यह (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पोस्टमार्टम में गंभीर चोटों को टाइगर की मौत का कारण माना

बौली -बामनवास, 4 नवंबर । सवाई माधोपुर के रणथंभीर टाइगर नेशनल पार्क के पास रविवार को उलियाणा गांव के खेत पर मृत पाए गए टाइगर टी -86 की मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर चोटों को माना गया है।

जयपुर से आई पशु चिकित्सकों की मेडिकल टीम ने बाघ टी - 86 का

टाइगर की रीढ़ की हड्डी, मुंह और चारों पैरों पर गंभीर चोट के निशान मिले। पोस्टमार्टम किया। उसके बाद टाइगर का ससम्मान अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान सामने आया कि अज्ञात लोगों ने सामूहिक रूप से बाघ पर ताबड़तोड़ हमले करके उसे मौत के घाट उतार दिया। मृत टाइगर की रीढ़ की हड्डी, मुंह एवं चारों पैरों पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। मौत से पहले ही बाघ की जीभ बाहर लटक गई थी। मृत बाघ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तमिलनाडु और कर्नाटक के बाद केरल पहुंचा भाषा विवाद

केरल में विवाद को हवा दी केन्द्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने

- लक्ष्मण वेंकट कुची -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 4 नवम्बर। भाषा मुद्दे पर तमिलनाडु और कर्नाटक में चल रहे विवाद की आग में धी डालते हुए एक केन्द्रीय मंत्री ने केरल में भी इस आग को हवा दे दी है।

उक्त केन्द्रीय मंत्री ने एक सवाल का जवाब केरल के राज्यसभा सांसद को हिंदी में भेजा। उक्त राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटस ने खाद्य संस्करण एवं रेल राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के पत्र का जवाब मलयालम भाषा में भेजा। इस प्रकार उन्होंने भाषाई मुद्दे पर अपना पक्ष रखा लेकिन केन्द्रीय मंत्री का जवाब संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है, साथ ही ऐसे ही मसले पर 2021 में आए मद्रास हाई कोर्ट के फैसले का भी उल्लंघन है। केन्द्र सरकार गैर हिंदी भाषी राज्यों के साथ संवाद के लिए आजादी के बाद से ही जिस नियम का पालन कर रही है, मंत्री ने उसकी भी अनदेखी की है।

मंत्री के इस रुख से दक्षिण भारतीय राज्यों में यह संदेश और बढ़ गया है कि उन पर हिंदी

रवनीत सिंह ने केरल के एक राज्यसभा सदस्य, जॉन ब्रिटस के अंग्रेजी में भेजे पत्र का जवाब हिंदी में दिया, अब राज्यसभा सांसद जॉन मलयालम भाषा में जवाब देंगे।

रवनीत सिंह पर आरोप है कि उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के प्रावधानों व मद्रास हाईकोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है, जिसके तहत गैर हिंदी भाषी राज्यों से अंग्रेजों भाषा में पत्र व्यवहार करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है।

जॉन ने आरोप लगाया, ऐसा लगता है केन्द्र सरकार हम पर हिंदी थोप रही है, सिर्फ मुझे ही नहीं कई अन्य नेताओं को भी ऐसा ही लगता है क्योंकि हमें हिंदी भाषा में जवाब दिया जाता है, जो हम समझते ही नहीं हैं। केरल के मंत्री पी. राजीव ने एक्स पर लिखा कि संविधान में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, सरकारी भाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी का उल्लेख है और आजादी के बाद यही परम्परा है कि केन्द्र सरकार गैर हिंदी भाषी राज्यों से अंग्रेजी में पत्र व्यवहार करती रही है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के एक मंत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि केन्द्र सरकार की इट्यूटी है कि राज्य सरकार को अंग्रेजी भाषा में ही जवाब दे।

लादी जा रही है। हिंदी भाषा में लिखा पत्र मिलने के बाद राज्यसभा सांसद ने कहा कि उन्हें लगता है कि उन्हें जानबूझ कर हिंदी भाषा में पत्र भेजा गया है और वे मंत्री को अपनी भाषा में जवाब

देंगे ताकि भाषा मुद्दे पर अपना पक्ष रख सके। ब्रिटस ने कहा कि वे अकेले नहीं हैं जिन्हें ऐसा महसूस हुआ है, क्योंकि दक्षिण भारत के कई अन्य सांसदों के साथ भी ऐसा ही हुआ उन्हें

ही हिंदी भाषा में पत्र भेजा गया जो न उन्हें आती है और न ही वे उसके साथ सहज हैं। ऐसा लगता है कि केन्द्रीय मंत्री को पता ही नहीं है कि गैर हिंदी भाषी राज्यों के साथ संवाद

‘मेडिकल कॉलेज आवंटन पर जवाब मांगा

जयपुर, 4 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट यू.जी. स्ट्रे काउन्सिलिंग में मेडिकल कॉलेज आवंटन से जुड़े मामले में प्रमुख मेडिकल शिक्षा सचिव सहित अन्य से जवाब मांग लिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपिठ ने यह आदेश आदर्श धाकड़ व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप

राजस्थान हाईकोर्ट ने आदर्श धाकड़ व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के आदेश दिये।

सैनी ने अदालत को बताया कि नीट यू.जी. की स्ट्रे काउन्सिलिंग में हर बार पहले एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के लिए अभ्यर्थी को मेडिकल कॉलेज आवंटित किया जाता था और उसके बाद उसके दस्तावेज सत्यापित किए जाते थे। लेकिन, इस बार स्ट्रे राउंड में कॉलेज आवंटन से पहले दस्तावेज सत्यापित (शेष अंतिम पृष्ठ पर)